II—157
C.J.

Witness No. .....02..... for ..... अभियोजन साक्षी ..... Deposition taken the .05-02-2026... day of .....गुरूवार . Witness's apparent age.. 60 वर्ष .. .. State on affirmation... शपथपूर्वक... my name is Shri/Smt./Ku. गैंद सिंह ठाकुर ..... S/D/W of..... स्व० श्री मकुन्दीराम ठाकुर occupation..... निरीक्षक..... Address- थाना- एसीबी/ईओडब्ल्यु. रायपुर, जिला-रायपुर (छ०ग०).....

साक्षी को शपथ दिलायी गयी।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री सुमन कुमार एक्का, उपसंचालक अभियोजन वास्ते शासन

1– मैं वर्ष 2022 से एसीबी/ईओडब्ल्यु रायपुर मुख्यालय में निरीक्षक/थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं।

2– दिनांक 06/07/2024 को पुलिस अधीक्षक एसीबी रायपुर के पत्र क्र० 7892/24, दिनांक 08/07/2024 नंबरी अपराध पंजीबद्ध करने बाबत पत्र प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र के परिपालन में आरक्षक विशेषवर पोस्टे द्वारा आरोपिया वेदवती दरियो निरीक्षक महिला थाना रायपुर के विरूद्ध धारा–7 पीसी एक्ट 1988, जिसे उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत खाण्डे द्वारा लेखबद्ध किया गया था । मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, बिना नंबरी देहाती नालसी **प्र०पी–3** है तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का उपरोक्त पत्र **प्र०पी–4** है । जिसके आधार पर मेरे द्वारा थाना राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्रथम सूचना क्र० 25/2024, दिनांक 06/07/2024 को धारा–7 पीसी एक्ट 1988, के तहत आरोपिया के विरूरद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था, जो **प्र०पी–5** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे तथा बिना नंबरी देहाती नालसी प्रस्तुत करने वाले आरक्षक विशेषवर पोस्टे के ब से ब भाग पर हस्ताक्षर है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सैय्यद जीशान अधिवक्ता वास्ते आरोपी

3– कार्यालय पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो और मेरे थाने के मध्य लगभग 01 किलोमीटर की दूरी है । यह कहना सही है कि उक्त कार्यालय और मेरे थाने के मध्य निरंतर पुलिस कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों का आना –जाना लगा रहता है । यह कहना सही है कि बिना नंबरी देहाती नालसी प्र०पी–3 पर उक्त दस्तावेज को लेखबद्ध किये जाने की दिनांक 05/07/2024 के प्रातः 7.10 बजे उल्लेखित है । यह कहना सही है कि दिनांक 05/07/2024 को मेरे समक्ष नंबरी प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु उक्त् नालसी प्रस्तुत

नहीं की गयी थी । स्वतः कहा कि दिनांक 06/07/2024 को ट्रेप कार्यवाही पश्चात् नंबरी प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु मेरे समक्ष देहाती नालसी प्रस्तुत की थी । यह कहना सही है कि प्र०पी–5 के कंडिका–08 में सूचना दिये जाने में विलंब का कारण उल्लेख किये जाने का प्रावधान है । यह कहना सही है कि मैंने उक्त् कंडिका में विलंब का कोई कारण उल्लेखित नहीं किया है ।

4– मेरी जानकारी में सामान्य रूप से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एसीबी द्वारा देहाती नालसी लेखबद्ध किये जाने के उपरांत ट्रेप कार्यवाही के पूर्व नंबरी प्रथम सूचना पत्र लेखबद्ध किया गया हो ।

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

(नीरज शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (भ्र.नि.अधि.)
एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(नीरज शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (भ्र.नि.अधि.)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

गवाह के हस्ताक्षर----------